झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज॰सं॰(नि॰) न॰वि॰–05/09 राँची, दिनांक –

आदेश

श्री रमेश कुमार चौधरी तत्कालीन सहायक अभियंता राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार राँची के विरूद्ध नगर विकास विभाग झारखण्ड राँची द्वारा बरियातु हाउसिंग कॉलोनी, साउथ ऑफिस पाड़ा डोरण्डा राँची में भवन प्लान की स्वीकृति में विहित प्रक्रिया पूरा किये बिना तकनीकी प्रतिवेदन समर्पित करने, भवन प्लान की स्वीकृति के लिए राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन कर आम जनता की सुरक्षा को नजर अंदाज करने से संबंधित आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया था।

नगर विकास विभाग से प्राप्त आरोप के आलोक में विभागीय आदेश संख्या– 2337 दिनांक– 29.06.09 द्वारा श्री चौधरी को निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या 2485 दिनांक 14.07.09 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही के सापेक्ष संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक 1688 दिनांक 31.05.10 द्वारा श्री चौधरी को निलम्बन मुक्त करते हुए प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया गया था :–

(i) दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) प्रोन्नति की देय तिथि से दो वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक

श्री रमेश कुमार चौधरी द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। श्री चौधरी द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखे गये बचाव बयान को ही दूहराया गया है। अतः उक्त प्रमाणित आरोप श्री चौधरी के कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। श्री चौधरी द्वारा यह कहा जाना कि अद्यतन भवन निर्माण से संबंधी Bye Laws के प्रावधानों की जानकारी नहीं थी, यह स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता। प्रावधानों से अलग हटकर स्वीकृति दिया जाना कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

अतः समीक्षोपरांत श्री चौधरी के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। पूर्व से संसूचित दण्ड को यथावत रखा जाता है।

2) उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 1422 राँची,दिनांक – 01-03-16

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड राँची/उप सचिव वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग झारखण्ड राँची/ उप सचिव, नगर विकास विभाग झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह कॉम्पलेक्स आदित्यपुर जमशेदपुर/उप सचिव (प्र॰) जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/ श्री रमेश कुमार चौधरी, सहायक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल जमशेदपुर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1-3-16
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\kanhaiya 2016\J.S. B.M.P singh\Office Order.docx